

अध्याय 2
प्रशासन

धारा 3 : अधिकारियों की नियुक्ति

बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ऐसे केन्द्रीय कर अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।
